संचिका सं0–5/क्रय–17–33/2014....1516(5)/

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक– 27/11/17

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय में सी०सी०टी०वी० कैमरा अधिष्ठापित करने का कार्य हेतु 4,80,640/–(चार लाख अस्सी हजार छः सौ चालीस) रुपये मात्र व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्य महाप्रबंधक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना के पत्रांक–2807, दिनांक–06.11.2017 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय में सी०सी०टी०वी० कैमरा अधिष्ठापित करने का कार्य हेतु 4,80,640/–(चार लाख अस्सी हजार छः सौ चालीस) रुपये मात्र व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है ।

(2) उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना (BMSIC) के द्वारा कराया जायेगा। कार्य कराते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जायगाः–

(i) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व इसकी संतुष्टि प्राप्त कर ली जायेगी कि संबंधित कार्य किसी अन्य योजना से नही कराया जा रहा हो या पूर्व में नहीं कराया गया हो।

(ii) निगम द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के मुताबिक ही कार्य कराया जायेगा ।

(iii) राशि का व्यय कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जायेगी।

(iv) कार्य का सघन पर्यवेक्षण निगम द्वारा अधिकृत नामित पदाधिकारी/एजेन्सी द्वारा कराया जायेगा ताकि कार्य की गुणवत्ता बनी रहे।

(v) कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत हो, यह सुनिश्चित कराया जायेगा।

(vi) निगम के संबंधित पदाधिकारी कार्य द्वारा प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा, जबतक कि कार्य पूर्ण नहीं हो जाय।

(3) इस व्यय का वहन व्यय शीर्ष–''2210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवायें–एलोपैथी–001–निदेशक और प्रशासन–0001–स्वास्थ्य निदेशालय'' अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में कार्यालय व्यय (0001–13–01) मद में प्राप्त आवंटित राशि से किया जाएगा । इसका विपत्र कोड संख्या–20-2210010010001 है ।

(4) इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे । कार्योपरान्त राशि की प्रतिपूर्त्ति बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाएगा ।

(5) राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 वि0(2), दिनांक–17.04.98, 8543 वि0(2), दिनांक–27.11.2007 एवं अद्यतन परिपत्रों के आलोक में की जायेगी ।

(6) राशि की निकासी उपर्युक्त कंडिका–3 के मुख्य शीर्ष /उपशीर्ष में उपबंधित राशि से की जायेगी ।

(7) राशि की निकासी नया सचिवालय, विकास भवन, कोषागार, पटना से की जायेगी।

(8) प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

(9) यह मात्र स्वीकृत्यादेश है । आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

27/11/17

(सच्चिदानंद चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांकः– 1516(5) /स्वा0, पटना, दिनांकः– 27/11/17

प्रतिलिपि– योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, बिस्कोमान भवन, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, पटना प्रमंडल, पटना/कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वास्थ्य विभाग/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी–5 एवं 7/संबंधित सहायक/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

27/11/17
सरकार के विशेष सचिव ।

D-Dip-10_A.K> Rajayadesh>(2016-17) Sub cen. Mahmadpur, Benipatti (Madhubani)

MSICL 27.11.17